

|                                                                                                   |                                                                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                  | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                     | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | आषाढ़ 05, गुरुवार, शाके 1947- जून 26, 2025<br>Asadha 05, Thursday, Saka 1947- June 26, 2025 |                                                  |

**भाग 6 (ख)**

**जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।**

**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, जून 18, 2025**

**{अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1)}**

**संख्या प.2(02)नविवि/सीकर/2025 :-** यह कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नगर विकास न्यास सीकर को सीकर शहर मास्टर प्लान 2031 की मास्टर प्लान सड़क रीको से बीकानेर बाईपास के मध्य में अवाप्ति से शेष खसरा सं. 2100/1814 रकबा 387 वर्गमीटर राजस्व ग्राम गोकुलपुरा (खातेदार कमला देवी पुत्री भगवाना, जाति जाट, निवासी गोकुलपुरा) की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार उक्त वर्णित प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 6 (8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास सीकर, को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, सीकर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(51)Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास सीकर होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।